न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–177 सन् 2018

इंदल महतो.....वादी।

बनाम

चंदेश्वर महतो वगैरह.....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 05.07.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 14.12.2022 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उक्त वाद के प्रतिवादी सं0 01 चंद्रश्वर महतो थे जिनकी मृत्यु दिनांक 15.01.2021 को हो गई है। परंतु प्रतिवादी सं0 01 के कानूनी वारिसान को प्रतिस्थापित करना न्यायहित में आवश्यक है। अतः निवेदन है कि मृत प्रतिवादी का नाम वादपत्र से कलमजद करना तथा उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान किया जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 05.07.2023 को दाखिल किया गया है जिसमें वादी का आवेदन का विरोध किया गया है तथा आवेदन में कथन किया है कि वादी जानबूझकर उक्त आवेदन विलंब से दाखिल किया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। जिसके कारण वाद का आवेदन स्वीकृत होने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी का आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 01 चंदेश्वर महतो थे जिनकी मृत्यु 15.11.2021 को अपने कानूनी वारिसानों को छोड़कर हो गई हैं। वादी प्रतिवादी सं0 01 का नाम वादपत्र से कलमजद करने तथा उनके

कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थातिप करने हेतु आवेदन विलंब से दाखिल किया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल प्रतिस्थापना आवेदन दिनांक 14.12.2022 को 500/—रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए तथा उपसमन अपास्त करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान करें। वाद दिनांक.....को अग्रिम कार्यवाही हेतु।।

सब जज

सोनपुर, सारण।